



24/8/11

पुस्तक 2280709
2286710

नव येत्ना केंद्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १०५८८/०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में,

दिनांक: ०७ अगस्त २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय: वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा ढूढ़ा को प्रेषित की गयी धनराशि की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को बीएसयूपी योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आनंदित की जा चुकी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रुपये में)				
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि	
देना बैंक	IFSC Code 018510003434	BKDN0720185	362.17	

जनपद का नाम	अनुदान संख्या	आवास संख्या	प्रश्नगत परियोजनाओं में शासन से प्राप्त धनराशि के संपेक्ष वर्किंग कास्ट/लेबर सेस/अग्रिम का समायोजनोपरान्त धनराशि का प्रेषण				
			वर्किंग कास्ट	लेबर सेस	कुल	अग्रिम का समायोजन	प्रेषित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	9
लखनऊ/ लखनऊ	अनु० ८३ पीएलए	763	342.58	19.590	362.17	0.00	362.17
योग			342.58	19.590	362.17	0.00	362.17

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय बीएसयूपी योजनान्तर्गत सम्बन्धित मूल्यवृद्धि की डीपीआर के साथ पठित पीएफएडी तथा भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृतियों में वर्णित मदों पर ही किया जाये जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। परियोजना की डीपीआर में स्वीकृत दरों एवं कार्य की भौतिक प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये ही कार्यदायी संस्था को तदनुसार धनराशि दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जितनी धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई है, स्थल पर उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए। उपरोक्त मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में व्यय करना और दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। किसी भी दशा में कोई व्यवर्तन अनुमन्य न होगा। आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 निर्धारित थी जो व्यथीत हो चुकी है। भारत सरकार को प्रश्नगत परियोजना की कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को प्रायमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में अग्रेतर कोई भी मूल्यवृद्धि यदि होती है तो उसका उत्तरदायित्व जनपद का होगा। प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व ढूढ़ा द्वारा एम०ओ०य० कार्यदायी संस्था से करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा:-

- समस्त कार्य मूल्यवृद्धि की डीपीआर के आधार पर प्रायमिकता पर पूर्ण कराने होंगे।
- दिसम्बर 2015 तक प्रत्येक दशा में उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।
- इस मूल्यवृद्धि के बाद पुनः किसी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- उपलब्ध स्वीकृत धनराशि से समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने होंगे।
- निर्माणाधीन आवास निर्माण पर लाभार्थी अंशदान संशोधित दरों पर ढूढ़ा द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा लाभार्थी अंशदान न उपलब्ध कराये जाने की दशा में उतनी लागत का कार्य कायदायी संस्था द्वारा छोड़ दिया जायेगा जैसाकि पूर्व में निर्देश निर्गत किये गये हैं।



५१४१८/८

इ.प्र. २२०७/०९
२२०७/०९

नव जलना गांड, १० अंशोक भारी, लखनऊ २८०००१

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

- ६- कार्य पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट अभियान मुख्यालय द्वारा दूड़ा के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।
- ७- सृजित की गई परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण सम्बन्धित नगर निकाय (यूएल०बी०) को करना होगा और उक्त का प्रमाण पत्र दूड़ा को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

मंदीर,
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, सम्बन्धित जनपद।
२. परियोजना निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन नि० इकाई सूडा -लखनऊ।
३. परियोजना अधिकारी-सूडा
४. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

लाल प्रताप सिंह
(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक